

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 5-28/2022/10-2
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 11/07/2024

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़, अरण्य भवन,
सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषय:- आवेदनकर्ता मेसर्स महाप्रबंधक, जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर द्वारा धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 3.786 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यवर्तन प्रस्ताव।

- संदर्भ:- 1. भारत सरकार, पर्यावरण, एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004।
3. विभागीय पत्र क्रमांक एफ 5-28/2022/10-2, दिनांक 04.08.2023।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध-ए/115-858/2317, दिनांक 04.10.2023 तथा पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध-ए/115-858/2531, दिनांक 08.11.2023।

---000---

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र क्र. 3 के माध्यम से राज्य शासन एतद् द्वारा विषयांकित प्रकरण में सशर्त प्रथम चरण स्वीकृति जारी की गई थी। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) के संदर्भित पत्र क्र. 4 में उक्त प्रथम चरण स्वीकृति में निहित शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रेषित कर राज्य शासन से सामान्य अनुमोदन के तहत औपचारिक अनुमति का अनुरोध किया गया है।

विषयांकित प्रकरण में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) के संदर्भित पत्र क्र. 4 में प्रदायित पालन प्रतिवेदन के आधार पर तथा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000, पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009, पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 एवं पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विचारोपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा निम्न तालिका में दर्शित विवरण अनुसार :-

तालिका

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वन भूमि का प्रकार	वन कक्ष क्रमांक	लंबाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (हे. में)
1	धमतरी	धमतरी	करेगांव	लहसुनवाही	आरक्षित वन	167	920	0.500	0.046
2			करेगांव	लहसुनवाही	आरक्षित वन	166	1300	0.500	0.065
3			करेगांव	बनरौद	आरक्षित वन	157	1040	0.500	0.052
4			करेगांव	बनरौद	आरक्षित वन	163	1080	0.500	0.054
5			करेगांव	बनरौद	आरक्षित वन	147	1440	0.500	0.072
6			करेगांव	डोकाल	आरक्षित वन	106	600	0.500	0.030
7			करेगांव	डोकाल	आरक्षित वन	107	1600	0.500	0.080
8			करेगांव	डोकाल	आरक्षित वन	129	1580	0.500	0.079
9			करेगांव	बरबांधा	आरक्षित वन	125	3440	0.500	0.172
10			करेगांव	बरबांधा	आरक्षित वन	138	1360	0.500	0.068
11			करेगांव	बरबांधा	आरक्षित वन	125A	380	0.500	0.019
12			करेगांव	कुम्हड़ा	आरक्षित वन	136A	120	0.500	0.006
13			करेगांव	मरदापोटी	आरक्षित वन	148	460	0.500	0.023
14			करेगांव	मरदापोटी	आरक्षित वन	149	2980	0.500	0.149
15			करेगांव	मरदापोटी	आरक्षित वन	148A	440	0.500	0.022
16			करेगांव	माडमसिल्ली	आरक्षित वन	153	900	0.500	0.045
17			बिरगुडी	180 घोटगांव कोंगेरा	आरक्षित वन	459	740	0.500	0.037
18			बिरगुडी	180 घोटगांव कोंगेरा	आरक्षित वन	459 A	320	0.500	0.016

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वन भूमि का प्रकार	वन कक्ष क्रमांक	लंबाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (हे. में)
19	धमतरी	धमतरी	बिरगुडी	180 घोटगांव कोंगेरा	आरक्षित वन	458	640	0.500	0.032
20			बिरगुडी	180 घोटगांव कोंगेरा	आरक्षित वन	456	1420	0.500	0.071
21			बिरगुडी	180 घोटगांव कोंगेरा	आरक्षित वन	458A	840	0.500	0.042
22			बिरगुडी	180 घोटगांव कोंगेरा	आरक्षित वन	461	2840	0.500	0.142
23			बिरगुडी	180 घोटगांव कोंगेरा	आरक्षित वन	460	580	0.500	0.029
24			बिरगुडी	180 घोटगांव कोंगेरा	आरक्षित वन	470A	1520	0.500	0.076
25			बिरगुडी	180 घोटगांव कोंगेरा	आरक्षित वन	460A	440	0.500	0.022
26			बिरगुडी	उत्तर बोरई	आरक्षित वन	498	820	0.500	0.041
27			बिरगुडी	पूर्व बोरई	आरक्षित वन	497	640	0.500	0.032
28			सांकरा	176 चेलिकपोटियारी	आरक्षित वन	382	1000	0.500	0.050
29			उत्तर सिंगपुर	बेलरदोना	आरक्षित वन	47	580	0.500	0.029
30			दक्षिण सिंगपुर	168 पालवाड़ी	आरक्षित वन	80	1580	0.500	0.079
31			दक्षिण सिंगपुर	168 पालवाड़ी	आरक्षित वन	79	1280	0.500	0.064
32			दक्षिण सिंगपुर	168 पालवाड़ी	आरक्षित वन	91	3240	0.500	0.162
33			दक्षिण सिंगपुर	168 पालवाड़ी	आरक्षित वन	98	860	0.500	0.043
34			दक्षिण सिंगपुर	168 पालवाड़ी	आरक्षित वन	99	2140	0.500	0.107
35			दक्षिण सिंगपुर	168 पालवाड़ी	आरक्षित वन	105	1500	0.500	0.075
36			दक्षिण सिंगपुर	168 पालवाड़ी	आरक्षित वन	97	360	0.500	0.018
37			दक्षिण सिंगपुर	168 पालवाड़ी	आरक्षित वन	99A	520	0.500	0.026
38			दक्षिण सिंगपुर	168 पालवाड़ी	आरक्षित वन	104	1240	0.500	0.062
39			दक्षिण सिंगपुर	177 उमरादाह, आलसा	आरक्षित वन	76	1000	0.500	0.050
40			दक्षिण सिंगपुर	सिंगपुर	आरक्षित वन	78	3100	0.500	0.155
41			दक्षिण सिंगपुर	177 उमरादाह, आलसा	आरक्षित वन	77	2500	0.500	0.125
42			दुगली	177 उमरादाह, आलसा	आरक्षित वन	260	1440	0.500	0.072
43			दुगली	177 उमरादाह, आलसा	आरक्षित वन	258	1120	0.500	0.056
44			दुगली	177 उमरादाह, आलसा	आरक्षित वन	266A	1400	0.500	0.070
45			दुगली	169 पालगांव	आरक्षित वन	258A	340	0.500	0.017
46			दुगली	177 उमरादाह, आलसा	आरक्षित वन	259	860	0.500	0.043

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वन भूमि का प्रकार	वन कक्ष क्रमांक	लंबाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (हे. में)
47	धमतरी	धमतरी	दुगली	177 उमरादाह, आलसा	आरक्षित वन	254	1100	0.500	0.055
48			दुगली	177 उमरादाह, आलसा	आरक्षित वन	267A	680	0.500	0.034
49			दुगली	177 उमरादाह, आलसा	आरक्षित वन	267	700	0.500	0.035
50			नगरी	175 बनपुरी	आरक्षित वन	274	1940	0.500	0.097
51			नगरी	175 बनपुरी	आरक्षित वन	274A	2020	0.500	0.101
52			नगरी	175 बनपुरी	आरक्षित वन	279A	1060	0.500	0.053
53			नगरी	175 बनपुरी	आरक्षित वन	279	240	0.500	0.012
54			नगरी	175 बनपुरी	आरक्षित वन	280	200	0.500	0.010
55			नगरी	176 चेलिकपोटियारी	आरक्षित वन	287	1320	0.500	0.066
56			नगरी	179 अछोटी दलदली	आरक्षित वन	300	1520	0.500	0.076
57			नगरी	176 चेलिकपोटियारी	आरक्षित वन	299	1220	0.500	0.061
58			नगरी	176 चेलिकपोटियारी	आरक्षित वन	298	620	0.500	0.031
आरक्षित वनभूमि का योग							69120	0.50	3.456
59			धमतरी	भोयना (उत्तर)	संरक्षित वन	P 168	700	0.500	0.035
60			केरेगांव	मोहलई	संरक्षित वन	P 162	780	0.500	0.039
61			केरेगांव	केरेगांव पश्चिम	संरक्षित वन	P 130	780	0.500	0.039
62			केरेगांव	कुमड़ा	संरक्षित वन	P 137	800	0.500	0.040
संरक्षित वनभूमि योग							3060	0.50	0.153
क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित वन भूमि का प्रकार	खसरा क्रमांक	लंबाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	धमतरी	धमतरी	धमतरी	भोयना	राजस्व वनभूमि	13	340	0.500	0.017
2			धमतरी	अछोटा	राजस्व वनभूमि	489	360	0.500	0.018
3			मगरलोड	राकाडीह	राजस्व वनभूमि	22	220	0.500	0.011
4			मगरलोड	राकाडीह	राजस्व वनभूमि	30	280	0.500	0.014
5			मगरलोड	राकाडीह	राजस्व वनभूमि	43/1	300	0.500	0.015
6			मगरलोड	राकाडीह	राजस्व वनभूमि	54	120	0.500	0.006
7			नगरी	बनरौद	राजस्व वनभूमि	262	40	0.500	0.002
8			नगरी	बनरौद	राजस्व वनभूमि	311	300	0.500	0.015
9			नगरी	कुकरेल	राजस्व वनभूमि	612	80	0.500	0.004
10			नगरी	कल्लेमेटा	राजस्व वनभूमि	9	120	0.500	0.006

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित वन भूमि का प्रकार	खसरा क्रमांक	लंबाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
11	धमतरी	धमतरी	नगरी	कल्लेमेटा	राजस्व वनभूमि	356	80	0.500	0.004
12			नगरी	माडमसिल्ली	राजस्व वनभूमि	77	100	0.500	0.005
13			नगरी	मूलगांव	राजस्व वनभूमि	417	160	0.500	0.008
14			नगरी	बिलभदर	राजस्व वनभूमि	460	140	0.500	0.007
15			नगरी	भितर्रास	राजस्व वनभूमि	1163/3	40	0.500	0.002
16			नगरी	भितर्रास	राजस्व वनभूमि	1163/1	60	0.500	0.003
17			नगरी	भितर्रास	राजस्व वनभूमि	1005	20	0.500	0.001
18			नगरी	छिपलीपारा	राजस्व वनभूमि	264/1	220	0.500	0.011
19			नगरी	सांकरा	राजस्व वनभूमि	3013	40	0.500	0.002
20			नगरी	सांकरा	राजस्व वनभूमि	3011	280	0.500	0.014
21			नगरी	देवपुर	राजस्व वनभूमि	214	180	0.500	0.009
22			नगरी	देवपुर	राजस्व वनभूमि	212	20	0.500	0.001
23			नगरी	नगरी	राजस्व वनभूमि	62	40	0.500	0.002
राजस्व वनभूमि योग							3540	0.50	0.177
कुल योग							75720 (75.72 K.M.)	0.50	3.786

उक्त 75.72 कि.मी. लंबे तथा 0.5 मीटर चौड़े वन क्षेत्र कुल 3.786 हे. वन भूमि (आरक्षित वन भूमि 3.456 हे. संरक्षित वन भूमि 0.153 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.177 हे.) में भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु मेसर्स महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर, छत्तीसगढ़ को वन भूमि उपयोग पर देने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन (Stage-II Approval) अंतिम चरण की स्वीकृति दी जाती है :-

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।
2. प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं किया जायेगा ।
3. ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे ।
4. उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौड़ाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी । वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुँचें, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्च पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा । यदि उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु Horizontal Directional Drilling method (HDD) पद्धति का उपयोग किया जाता है तो, उपयोग किये जाने वाली मशीन के परिवहन हेतु मौजूदा सड़क का उपयोग किया जायेगा तथा अन्य वन क्षेत्र का उपयोग प्रतिबंधित होगा । इस पद्धति के उपयोग में यह ध्यान रखा जाये कि वन क्षेत्र के फ्लोरा एवं फौना तथा Regeneration को क्षति न हो ।
5. स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके ।
6. उपरोक्त लाईन, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बाहर, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अंतर्गत ही बिछाई जावेगी ।
7. आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात, उपयोग किये गये भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्च को वहन करने हेतु, वचनबद्ध रहेगा ।

8. आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा।
9. आवेदक संस्थान रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा।
10. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।
11. प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन पर भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा प्रकरण को REC की बैठक दिनांक 19.05.2023 में विचारार्थ रखने के पश्चात् REC द्वारा दिये गये निर्देश जो भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक 24.05.2023 के साथ संलग्न एजेण्डा क्र. 3 में वर्णित है। उक्त निर्देशों का पालन किया जायेगा।
12. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।
13. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को प्रेषित करेंगे।
14. बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को निवेदन करेंगे।
15. क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय-समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्ही शर्तों के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन मानकर कार्यवाही की जायेगी।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 उपरोक्त शर्तों का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,

(के.एल.मांझी)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 11/07/2024

पृष्ठा.क्रमांक/एफ 5-28/2022/10-2

प्रतिलिपि :-

1. वनमहानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
 2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़।
 3. मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर, छत्तीसगढ़।
 4. वनमंडलाधिकारी, धमतरी वनमंडल, धमतरी छत्तीसगढ़।
 5. आवेदनकर्ता, महाप्रबंधक, जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, चतुर्थ तल, अंबुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू), रायपुर, छत्तीसगढ़।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

dlc